न्यायालय—उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू—अभिलेख अधिकारी सांचौर, जिला—सांचौर

पीठासीन अधिकारी :— प्रमोद कुमार (आर.ए.एस.)
राजस्व विविध प्रकरण सं. 8/2021
जीसीएमएचः— 2021/44

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. सांवला पुत्र पुरा। 2.दूदा पुत्र पुरा। 3.चौथी बैवा पुरा। 4. मूंगा पुत्र चेना। 5. रमकू बैवा चेना जातियान कलबी निवासीगण—डूंगरा का गोलिया सांचौर तह—सांचौर जिला सांचौर राज.		1. तहसीलदार भूमिधारी सांचौर जिला सांचौर । 2. अधिशाषी अभियंता, नर्मदा नहर परियोजना मुख्य नहर—सांचौर। 3. सहायक अभियंता,नर्मदा नहर परियोजना मुख्य नहर—सांचौर।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 , 131 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः—

तारीख रजूः— 25.03.2021

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री रघुवीर पुरोहित ।
2. अप्रार्थीगण संख्या 01 राज पैराकार उपस्थित ।
3. अप्रार्थी संख्या 02 व 03 की ओर से अधिवक्ता श्री भगवती प्रसाद बालौत व श्री चेतन पुरोहित ।

निर्णय **दिनांक 08.07.2024**

प्रार्थी मय अधिवक्ता ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम,1956 के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा डूंगरा का गोलिया पटवार हल्का सांचौर तहसील सांचौर में खातेदारी व कब्जा काश्तसुदा खेत खसरा नम्बर 21/3359 रकबा 1.54 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम की स्थित है नकल वर्तमान जमाबंदी व नक्शा ट्रैश संलग्न है। उक्त खेत खसरा नम्बर 21/3369 रकबा 1.54 हैक्टयर में से नर्मदा नहर निकाली हुई है जो लेकिन राजस्व रेकर्ड व ट्रैस नक्शा में अभी तक नहर में अवाप्त की गई भूमि को तरमीम नही किया गया है जिस कारण हम खातेदारान प्रार्थीगण को हमेंशा सरकारी योजनाओं का लाभ लेने व भूमि का आपसी बंटवाड़ा आदि करने में में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मौके पर नर्मदा नहर कनेाल निकाली जा चुकी है जो कई सालो से चल रही है लेकिन लिपीकय भूल से नर्मदा नहर के अधिकारियों व भूमिधारी तहसीलदार सांचौर द्वारा नहर में अवाप्त की गई भूमि को राजस्व रेकर्ड व नक्शा में तरमीम नही की गई है। अतः मौजा डूंगरा का गोलिया पटवार हल्का सांचौर के खेत खसरा नम्बर 21/3359 रकबा 1.54 हैक्टयर में से नर्मदा मुख्य नहर हेतु अवाप्त की गई भूमि [illegible] रेकर्ड में जमाबंदी तथा नक्शा में तरमीम कर उक्तानुसार रेकर्ड दुरस्ती [illegible] तहसीलदार सांचौर के नाम देने की कृपा करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.07.24 14:06:48 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर कर अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 02 व 03 की और से अधिवक्ता श्री भगवती प्रसाद व श्री चेतन पुरोहित ने

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner

जवाब पेश किया कि प्रार्थीगण ने मौजा डूंगरा का गोलिया के खेत खसरा नम्बर 21/3359 रकबा 1.54 हैक्टयर भूमि उनकी खातेदारीसुदा व कब्जाकाश्त सुदा बताई गई है जो गलत है चूंकि वर्तमान के खेत खसरा नम्बर 21/3359 के पुराने खेत खसरा संख्या 6मीन से नर्मदा मुख्य नहर भूमि आवाप्त करके निकाली गई है तथा आज भी मौके पर मुख्य कनाल बनी हुई है। राज्य सरकार द्वारा विधिवत अवाप्ति की प्रकिया अपना कर वक्त अवाप्ति के समय उक्त खातेदार थे उनको राज्य सरकार द्वारा मुआवजा राशि अदा कर भूमि अवाप्त की गई थी तथा खातेदारान द्वारा मुआवजा राशि प्राप्त कर ली गई प्रार्थीगण की भूमि सन् 1996 में आवाप्त की गई थी तथा आवाप्ति के वक्त प्रार्थीगण को धारा 04,06,09 भूमि आवाप्ति अधिनियम के तहत समय समय पर नोटिस इत्यादि दिये जाकर मुआवजा राशि के चैक भी अदा किये । इस कारण रकबा 1.54 हैक्टयर पूरी भूमि खातेदार बताना गलत है। आवाप्ति की सम्पूर्ण कार्यवाही के पश्चात उक्त भूमि तरमीम करने हेतु नर्मदा नहर विभाग द्वारा सम्पूर्ण रेकर्ड अप्रार्थीगण संख्या 01 तहसीलदार सांचौर को दिये जा चुके है तथा माफिक आवाप्तसुदा भूमि की तरमीम की जाती है तो हम अप्रार्थीगण संख्या 02 व 03 को किसी प्रकार की आपत्ति नही है। धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट में किसी प्रकार की गलती या त्रुटि हुई है तो उसे शुद्वि किये जाने का बाबत् लागू होती है व प्रकार धारा 131 आर.एल.आर एक्ट जो किसी तरमीम में गलती है या त्रुटि हुई है तो उसकी शुद्वि के लिए लागू नही होती है। तथा आवाप्त भूमि बैचान,रहन,बंटवाड़ा या किसी भी प्रकार से भूमि का हस्तान्तरण होता है तो उसके आधार पर मौके की स्थिति अनुसार राजस्व रेकर्ड में तरमीम करने का क्षेत्राधिकार संबंधित तहसीलदार को होता है न की इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार है इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र क्षेत्राधिकार के अभाव में खारिज योग्य है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विधि द्वारा वर्जित,आधारहीन, मनघंडत व क्षेत्राधिकार के अभाव में व म्याद बाहर होने से काबिल खारिज फरमावे।

अप्रार्थी संख्या 01 तहसीदार सांचौर ने जवाब प्रस्तुत किया कि डूंगरा का गोलिया पटवार हल्का सांचौर के पुराने खेत खसरा नम्बर 6 में नर्मदा नहर परियोजना का सर्वे हुआ था, कालान्तर में उक्त खसरा नम्बर 3, 6मी. एवं 6/1 हुए जिसके नवीन खसरा नम्बर क्रमशः 21/3359 व 21 बने है । पुराने खसरा नम्बर 6/1 से बने नये खसरा नम्बर 21 रकबा 2.59 हैक्टयर में से अवाप्त हुई भूमि 1.22 हैक्टयर की नर्मदा नहर में तरमीम की गई जबकि मौके पर खसरा नम्बर 21 व खसरा नम्बर 21/3359 में से वास्तव में नहर गुजर रही है, परन्तु तरमीम केवल खसरा नम्बर 21 में ही गई है, [illegible] परियोजना का आवार्ड 6/1 में 1.22 हैक्टयर भूमि अवाप्[illegible] जारी [illegible] था, तदनुसार खसरा नम्बर 21/3359 में 0.48 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 21 [illegible] कुल रकबा 1.22 हैक्टयर भूमि की तरमीम की जानी चाहिये थी। वर्तमान रकबे [illegible] अनुसार खसरा नम्बर 21/3359 करबा 1.54 हैक्टयर है जिसमें नहर में रकबा 0.48 हैक्टयर अवाप्त होकर शेष रकबर 1.06 हैक्टयर रहेगा जिसे संलग्न नक्शे में दर्शाया गया है। खसरा नम्बर 21 रकबा 2.59 हैक्टयर में

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.07.24 14:06:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

नहर भूमि 1.22 हैक्टयर की तरमीम किये जाने से नहर भूमि का खसरा नम्बर 3548/21 रकबा 1.22 हैक्टयर कि बजाय दुरस्त कर रकबा 0.74 हैक्टयर किया जाना प्रस्तावित है।

बहस वकील प्रार्थी एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन–अवालेकन किया। बहस विद्वान अधिवक्ता पर मनन करते हुए संगत विधिक प्रावधानो का अध्ययन किया गया। । अप्रर्थीगण के प्रस्तुत जवाब व दस्तावेज का भली भांति अवलोकन किया

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। तथा तहसीलदार सांचौर को आदेश दिया जाता है कि मौजा डूंगरा का गोलिया पटवार हल्का सांचौर तहसील साचौर के पुराने खसरा नम्बर 6 मीन,6/1 से अवाप्तशुदा भूमि को दस्तावेजों के आधार पर अवाप्तशुदा भूमि रकबा 1.22 हैक्टयर अवाप्ति रेकर्ड अनुसार नर्मदा नहर परियोजना के हिस्से में दर्ज करते हुए तद्नुसार तरमीम करावे। पत्रावली इसी मुताबिक फैसल होकर नम्बर से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी, सांचौर

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

उक्त आज दिनांक 8/7/2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी, सांचौर

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.07.24 14:06:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner